मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टैरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)
(का.) 0755-2551659, 2554809, फैक्स : 0755-2556065
ई-मेल : mphousing@gmail.com

परिपत्र क्रमांक–24/2015, दिनांक16.04.2015 .

विषय :– मण्डल द्वारा आफर के माध्यम से व्ययन की जाने वाली सम्पत्तियों हेतु आवश्यक निर्धारित शर्तों में संशोधन बाबत् ।

संदर्भ :– मण्डल का संकल्प क्र0–4816–24/229/04/2015

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया कि मण्डल की सम्पत्तियों को आफर द्वारा मोहर बंद प्रस्तावों से विक्रय करने के संबंध में परिपत्र क्र0–19/04 दिनांक 19.12.2004 के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों को पुनः संशोधित एवं एकजाई कर संलग्न परिशिष्टि अनुसार नियम एवं शर्ते प्रभावशील की जाती है । भविष्य में आफर के माध्यम से व्ययन की जाने वाली सम्पत्तियों हेतु आफर प्रपत्र के अंतर्गत संशोधित नियम एवं शर्तों को संलग्न किया जावे ।

3. उक्त व्यवस्था परिपत्र के जारी होने की दिनांक से लागू होगी ।

संलग्न– नियम एवं शर्ते

मण्डल के आदेशानुसार

मुख्य सम्पदा अधिकारी
म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल

पृ0क्रमांक–599/सं.प्र./मण्डल/2015 भोपाल, दिनांक 16.04.2015

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, मान.अध्यक्ष/आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।
2. अपर आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।
3. मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य प्रशासकीय अधिकारी/मुख्य सम्पदा अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।

4. सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल/इन्दौर/ ग्वालियर/ जबलपुर/रीवा/उज्जैन।

5. उपायुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, वृत्त 1, 2, 3 एवं विद्युत भोपाल/तकनीकी, भोपाल/सी.जी.आर. सेल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर /रीवा।

6. कार्यपालन यंत्री/सम्पत्ति अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 भोपाल/होशंगाबाद/ग्वालियर–1, 2/मुरैना/गुना/ इन्दौर–1,2/धार/खण्डवा/उज्जैन/रतलाम/जबलपुर–1/2/कटनी/छिन्दवाडा/ छतरपुर/ सागर/रीवा/सीधी/सतना/सिंगरौली।

7. सम्पत्ति अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल/ ग्वालियर/इन्दौर/ जबलपुर।

8. प्रभारी अधिकारी, (मण्डल सचिवालय) म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल।

9. कम्प्यूटर शाखा, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

16/11/15

मुख्य सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एव अधोसंरचना
विकास मण्डल, भोपाल

सम्पत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
संभाग :

मोहरबंद प्रस्ताव हेतु नियम एव शर्ते

1 आफरकर्ता एक से अधिक सम्पत्ति के लिए आफर दे सकते है परन्तु प्रत्येक के लिए अलग से आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेज उपयोग में लाना होगा । परन्तु एक से अधिक भवन के लिए आफर स्वीकार होने के उपरांत ऑफर में प्रस्तावित इकाई क्रय न करने पर शर्त क्रमांक 09 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

2 केवल उच्चतम दरदाता की अमानत राशि रोकी जावेगी, शेष आवेदकों की राशि ऑफर खुलने के उपरांत वापस कर दी जावेगी । तथापि विशेष परिस्थिति में उक्त शर्त परिवर्तनीय होगी । इस हेतु सम्पत्ति अधिकारी का निर्णय मान्य होगा ।

3 मोहरबंद प्रस्ताव हेतु बोर्ड के अन्य सभी नियम एवं शर्ते भी लागू होगी ।

4 प्राप्त प्रस्ताव पर मंडल द्वारा अधिकतम 90 दिवस की अवधि मे निर्णय लिया जाकर अवगत कराया जावेगा तब तक उच्चतम आफर दाता की धरोहर राशि बिना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी ।

5 प्रस्तावित सम्पत्ति की शेष राशि आफर स्वीकृत होने पर आफरकर्ता को 30 दिवस के भीतर जमा करानी होगी । तदोपरान्त मंडल परिपत्र क्रमांक 18/15 दिनांक 18.03.2015 के अनुसार कार्यवाही होगी । ऑफर स्वीकृति दिनांक से 120 दिन में सम्पूर्ण राशि जमा न होने पर ऑफर स्वतः निरस्त होगा तथा जमा राशि बिना ब्याज वापस होगी ।

6 प्रस्तावित सम्पत्ति की अवशेष राशि निर्धारित समयानसुार जमा न होने पर उच्चतम आफरकर्ता की धरोहर राशि में से 50% के बराबर राशि कटौत्री कर शेष बिना ब्याज के वापस की जावेगी ।

7 प्रस्तावित सम्पत्ति का अधिपत्य उसके रजिस्ट्री के उपरांत दिया जाएगा। रजिस्ट्री का व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।

8 सम्पत्ति के आवंटन व अधिपत्य होने पर मंडल/राज्य व केन्द्र शासन/स्थानीय निकाय द्वारा नियमानुसार सम्पत्ति कर भारित होनें वाले समस्त कर अलग से आवंटी द्वारा देय होगें ।

9 सम्पत्ति लीज पर रहने की स्थिति में शासन व मंडल द्वारा निर्धारित लीजरेंट आवंटी द्वारा देय होगा ।

10 सम्पत्ति का जिस उपयोग हेतु आवंटन होगा उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जायेगा, अन्यथा उपयोग वर्जित होगा ।

11 आफरकर्ता द्वारा आफर प्रस्तुत करनेक के पूर्व प्रस्तावित सम्पत्ति का निरीक्षण एवं आक्कलन करना अनिवार्य है । आफर प्रस्तुत होने के उपरात सम्पत्ति यथा स्थिति में हस्तांतरित होगी ।

12 प्राप्त आफर ऑफसेट मूल्य से अधिक होन पर भी बिना कोई कारण बताये मंडल को आफर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है । इस सम्बंध में कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य नही होगा ।

13 आवंटी के अनिवार्य रूप से परिसर/कॉलोनी की रहवासी कल्याण समिति की सदस्यता ग्रहण करनी होगी एवं इस हेतु सदस्यता फार्म तथा त्रिपक्षीय अनुबंध हस्तांक्षरित करना होगा ।

14 सम्पत्ति परिसर में स्थित होने से सामूहिक हाउस कीपिंग एव रख–रखाव हेतु आवंटी से मंडल द्वारा स्वीकृत आफर मूल्य का 2/3 प्रतिशत राशि एक मुश्त पृथक से अधिपत्य के पूर्व ली जाऐगी । ऐसी प्राप्त राशि के ब्याज से सामुहिक हाउस कीपिंग एवं रख–रखाव का कार्य रहवासी कल्याण समिति द्वारा निष्पादित होगा । यदि अर्जित ब्याज की राशि में रख–रखाव का कार्य सम्पादित नही होता है तो परिसर में आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल के अनुपात में निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रतिमाह आवंटी द्वारा रहवासी कल्याण समिति को देय होगी । यह राशि आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय रहेगी।

15 परिसर का सामुहिक रख–रखाव हेतु प्राप्त राशि परिसर के आवंटियों की पंजीकृत समिति को परिसर के रख–रखाव की जिम्मेदारी लेना अनिवार्य होगा तथा उस मद में जमा राशि समिति को सावधि जमा के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी । सामुहिक रख–रखाव की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व समिति का रहेगा तथा प्रत्येक आवंटी को पंजीकृत समिति द्वारा निर्धारित शुल्क नियमानुसार मॉग अनुसार मासिक/वार्षिक देय होगा ।

16 इस नियमों व शर्तो के अतिरिक्त मंडल द्वारा जारी अन्य नियम एवं शर्ते लागू होगी ।

17 बिजली कनेक्शन एवं जल कनेक्शन आवंटी को स्वयं के व्यय से सम्बंधित संस्था से लेना होगा व उनके नियमानुसार प्रभार एवं कर देय सम्बंधित संस्था को देना होगा ।

18 आवंटी आवंटित क्षेत्र का रख–रखाव एवं स्वच्छता का स्वयं प्रबंध करेगा ।

19 आवंटी का क्षेत्र के रख–रखाव हेतु फेसिलिटि मैनेजमेंट कम्पनी/पंजीकृत समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

20 आवंटित सम्पत्ति का हस्तांतरण मडल के प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अतर्गत हो सकेगा ।

21 किसी भी प्रकार के बियाद की स्थिति में मंडल के परिपत्र क्रमांक 04 दि. 12.01.15 के अनुसार अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु आफर दाता स्वतंत्र होगा ।

22 नियम एवं शर्तें हस्ताक्षर कर मोहरबन्द प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

23 एकल आफर प्राप्त होने पर गुण/दोष के आधार पर भी निर्णय लिया जावेगा ।

24 प्रकोष्ठ भवनों में नियमानुसार सामान्य प्रभार शुल्क (सी.एस.सी चार्जेज) प्रथक से देय होगा ।

सम्पत्ति अधिकारी
एम.पी.हाउसिंग एंव अधोसंरचना विकास मंडल

आवेदक के हस्ताक्षर..

नाम..

पता..

दिनांक...

स्थान..

नोट:– 1 बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पृष्ठ भाग पर आफरदाता अपना नाम एवं फार्म नम्बर का उल्लेख अवश्य करें ।

2 बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अलग से जमाकर्ता के पास जमा कर आवेदन पत्र में संलग्न प्रपत्र के अनुसार अभिस्वीकृति प्राप्त करे ।